

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक एफ 11(87 अ)एफसीए/मुवस/2021
निमित्त,

3372

दिनांक:- 11/06/21

उप वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:- Diversion of 0.1025 ha. Forest land for proposed sewerage project Kishangarh under amrit yojana, District Ajmer, Rajasthan Forest diversion proposed under Forest (Conservation) Act 1980. Proposal no.- FP/RJ/PIPELINE/42970/2019


संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक 3153 दिनांक 09.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा दिनांक 20.04.2021 को प्रकरण Diversion of 0.1025 ha. Forest land for proposed sewerage project Kishangarh under amrit yojana, District Ajmer आक्षेप लगाये गये थे। आक्षेपों की ऑन लाईन पूर्ति करते हुए आपके द्वारा 0.1025 है. हेतु लगभग 17 लाख की CA Scheme भिजवायी गयी है जो कि अव्यवहारिक है।

अतः उक्त प्रकरण हेतु CA Scheme को व्यवहारिक व वास्तविक बना प्रेषित करें।

भवदीय,


(महेश चन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।